# कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

## निविदा/टैण्डर सूचना

जनपद न्यायालय मेरठ में विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में उपयोग में आने वाली 90 लोहे की बड़ी अलमारी एवं 20 लोहे की छोटी अलमारियों को कय किया जाना है।

उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आयकर व्यापारकर से मान्यता प्राप्त पंजीकृत/अधिकृत फर्मो/विकेता/निर्माता/डीलर्स से दिनांक–21.02.2017 को अपराहन् 12:00 बजे तक सील्ड व मुहर बन्द निविदायें/टैण्डर आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की विशिष्टियां निविदा हेतु निर्धारित फार्म, निविदा की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व नजारत अनुभाग मेरठ में 100/–रूपये अदा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा/टैण्डर फार्म के साथ जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में देय कुल मूल्य मय वैट व देय टैक्स आदि का 2 प्रतिशत अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में टैण्डर प्रस्तुत करने के समय दिनांक–21.02.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जायेगी और टैण्डर स्वीकृत होने पर वस्तुओं के कुल मूल्य मय सभी कर का 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत राशि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मेरठ के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, राष्ट्रीयकृत बैक की मियादी जमानत रसीद के रूप में संबंधित फर्म द्वारा जमा किया जायेगा।

उपरोक्त वस्तुओ की निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने एवं गारन्टी/वारन्टी की अवधि आदि के प्रयोजनार्थ विहित प्रारूप पर कय आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त निविदायें दिनांक–21.02.2017 को 4:00 बजे अपराहन् कय समिति के समक्ष तेरह न्यायालय भवन के मीटिंग हाल में खोली जायेगी। निविदायें खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

उक्त सूचना एवं निविदा की शर्ते माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है।

| | | |
|---|---|---|
| 19/01/2017 | Vinai Kumar Dwivedi 19/01/17 | 19.1.17 |
| (शिव चन्द्र) | (विनय कुमार द्विवेदी) | (अरूण कुमार मिश्र) |
| सदस्य, कय समिति | सदस्य, कय समिति | अध्यक्ष, कय समिति |
| मेरठ। | मेरठ। | मेरठ। |

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।

1– नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।

3– नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4– नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5– समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतू।

6– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।

## निविदा की शर्ते

न्यायिक प्रतिष्ठान मेरठ के लिये 90 (लोहे की बड़ी अलमारी) एवं 20 (लोहे की छोटी अलमारी) प्रतिष्ठित/ब्रान्डेड कम्पनी का क्रय किया जाना है। जिस हेतु अधिकृत/पंजीकृत डीलर/फर्म, निर्माता एवं विक्रेता द्वारा सीलबन्द निविदा निम्न शर्तो पर आमंत्रित की जानी है:–

1– निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी का विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है।

2– सीलबन्द निविदा के सम्स्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय दिनांक होना आवश्यक है। सीलबन्द निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

3– सीलबन्द निविदा में दरो का अंकन शब्दो तथा अंको दोनो में किया जाये, साथ ही दर वैट सहित सम्मिलित की जायेगी।

4– निविदा होने वाली फर्म का वाणिज्य–कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और निविदादाता द्वारा ट्रेड–टैक्स विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य है।

5– निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले सामान/आईटम का मूल्य मय वैट एवं आपूर्ति किये जाने वाले समस्त सामान/आईटम का कुल मूल्य मय वैट अंकित करना अनिवार्य है, और उक्त कुल मूल्य मय वैट के 2% धनराशि का ड्राफ्ट अग्रिम धनराशि के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में पृथक सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– निविदा की सूचना के नियमानुसार जारी होने के बाद निविदा का फार्म निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व प्रत्येक कार्यदिवस में सायं 5:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ में नजारत अनुभाग से 100 रूपये अदा करके प्राप्त किया जा सकता है।

7– सीलबन्द निविदा एवं उसके साथ संलग्न सीलबन्द अग्रिम धनराशि दिनांक 21.02.2017 को दिन 12:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ के नजारत अनुभाग में प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 21.02.2017 को दिन में 12:00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं होगी। पंजीकृत डाक से निविदा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निविदा मेरठ में प्राप्त हो जाये।

8– सीलबन्द उपरोक्त निविदांये दिनांक 21.02.2017 को शाम 4:00 बजे के बाद तेरह–कक्षीय न्यायालय भवन के मीटिंग कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

9– निविदाओं को स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

10– निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अपेक्षित एवं वांछित गुणवत्ता की वस्तु की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्दर किये जाने के सम्बन्ध में आपूर्ति किये जाने वाले समस्त वस्तुओं के कुल मूल्य मय वैट की धनराधि 10 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में जमानत के रूप में जमा करना होगा। उक्त जमानत की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंको के मिनादी जमानत रसीद इत्यादि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन सफल निविदादाता द्वारा न करने की स्थिति में उक्त जमानत की धनराशि और अग्रिम धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। वांछित गुणवत्ता की वस्तु के निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने के बाद उनी गुणवत्ता एवं अन्य विशिष्टताओं के सम्बन्ध में वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अवमुक्त किया जायेगा।

11– मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाने एवं वारण्टी के अन्दर उक्त वस्तुओं की मरम्मत आदि के प्रयोजनार्थ क्रय आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रारूप मे सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

12– निविदा स्वीकृत होने पर वांछित अनुदान की धनराशि की मांग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से की जायेगी और अनुदान प्राप्त होने पर क्रय आदेश जारी किया जायेगा। आपूर्ति किये जाने वाले वस्तुओं की संख्या अनुदान पर आधारित होगी। जो घट–बढ़ सकती है।

13— आपूर्ति की गयी वस्तु में कोई मेन्यूफैक्चरिंग कमी पायी जाती है तो उसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पुनः आपूर्ति करनी होगी।

14— निविदाकर्ता में से जो भी निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तो में से किसी एक भी शर्त का पूर्ण नहीं करेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

15— आपूर्ति किये जाने वाली वस्तु के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया निविदा एवं उसके सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाला अनुबन्ध वस्तुओं की गुणवत्ता आपूर्ति आदि एवं अनुबन्ध एवं शर्तो का उल्लंधन के सम्बन्ध में समस्त विवादो को मध्यस्थ (आर्बीट्रेटर) को सन्दर्भित किया जायेगा। मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारो के प्रार्थना पत्र पर महा–निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

16— निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान जैसे भाड़ा, आपूर्ति किये जाने वाली को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में देय नहीं होगा, कोई बीयर–टीयर देय नहीं होगा।

18/01/2017
(शिव चन्द्र)
सदस्य, कय समिति
मेरठ।

18/01/17
(विनय कुमार द्विवेदी)
सदस्य, कय समिति,
मेरठ।

18.1.17
(अरूण कुमार मिश्र)
अध्यक्ष, कय समिति
मेरठ।

18/1/17
DISTRICT JUDGE
MEERUT.